रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 1997/माघ 11, 1918
No. 42] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 1997/MAGHA 11, 1918

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1997

सा.का.नि. 49(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10ङ की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) नियम, 1993 के नियम 9 के उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(5) उपनियम (1) से उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) नियम 3 के उपनियम (5) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, मासिक वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाओं का हकदार होगा जिसके अन्तर्गत उसी दर पर परिलब्धियाँ भी हैं जिस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसको अनुज्ञेय हैं; या

(ख) नियम 3 के उपनियम (5) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उस अवधि के लिए जिसके लिए वह अध्यक्ष के रूप में सेवा करता है, ऐसा वेतन दिया जाएगा जो, उसकी पेंशन और पेंशन के समतुल्य किसी अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा को मिलाकर सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा। वह ऐसे भत्तों और अन्य प्रसुविधाओं का हकदार होगा, जिसके अन्तर्गत परिलब्धियाँ भी हैं, जो उच्च न्यायालय के सेवारत् न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं।"

[फा.सं. ए-12018/3/96-प्रशा.-1]
जयेंदर सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:— मूल नियम सा.का.नि. 388(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 503 (अ) तारीख 3 जून, 1994, सा.का.नि. 253(अ) तारीख 28 मई, 1996 और सा.का.नि. 532(अ) तारीख 20 नवम्बर, 1996 द्वारा उसमें संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Company Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 31st January, 1997.

G.S.R 49 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 10E read with clause (a) of Sub-section (i) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely :—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Amendment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993 in rule 9, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted namely :—

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (4),—

(a) a Judge of High Court appointed as Chairman under clause (a) of sub-rule (5) of rule 3 shall be entitled to a montly salary, allowances and other benefits including perquisites at the same rate as is admissible to him as a Judge of a High Court; or

(b) a retired Judge of a High Court appointed as Chairman under clause (a) of sub-rule (5) of rule 3 shall be paid for the period he serves as Chairman, such salary which, together with his pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits, shall not exceed the last pay drawn by him before retirement. He shall be entitled to such allowances and other benefits including perquisites as are admissible to a serving Judge of a High Court."

[F. No. A-12018/3/96-Admn. I]
JAINDER SINGH Jt. Secy.

Foot Note :— Principal rules were notified vide G.S.R. 388 (E) dated 28th April, 1993 and subsequently amended by G.S.R. 503 (E) dated 3rd June, 1994, G.S.R 253 (E) dated 28th May, 1996 and G.S.R. 532 (E) dated 20th November, 1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997